उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 2006/VII-A-1/2021/15 उद्योग/06
देहरादून,दिनांकः 24 नवम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 78 एवं उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2015 के नियम 16 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अर्द्धन्यायिक प्रकरणों पर औद्योगिक विकास विभाग में प्राप्त अपीलों/अर्द्धन्यायिक प्रकरणों पर पुनरीक्षण/अपील की ग्राह्यता एवं सुनवाई, उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 58 एवं नियम 60 के अन्तर्गत एवं मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा आदेशित प्रकरणों में शासन स्तर पर सुनवाई किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–1727/VII-A-1/2019/15 उद्योग/06, दिनांक 18 जुलाई, 2019, कार्यालय ज्ञाप संख्या–63/VII-A-1/2021/15 उद्योग/06, दिनांक 27.01.2021 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–1058/VII-A-1/2021/15 उद्योग/06, दिनांक 09 जुलाई, 2021 द्वारा क्रमशः अपर सचिव एवं संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग (खनन), उत्तराखण्ड शासन को अधिकृत किया गया है।

2– उक्त आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 78 के अन्तर्गत पुनरीक्षण एवं उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 16 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अर्द्धन्यायिक प्रकरणों पर पुनरीक्षण का प्राधिकार राज्य सरकार में निहित होने के दृष्टिगत सुनवाई के प्रकरण सक्षम स्तर (विभागीय सचिव) पर निर्णित किये जायेंगे।

आर० मीनाक्षी सुन्दरम
सचिव

संख्याः 2006 (1)/VII-A-1/2021 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
2. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. संयुक्त निदेशक, खनन/मुख्य खान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय कुमायूं मण्डल, नैनीताल /समस्त जिला खान अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. एन०आई०सी०/मीडिया सेन्टर।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव

Scanned with CamScanner